



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18102023-249534
CG-DL-E-18102023-249534

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4386]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 17, 2023/आश्विन 25, 1945

No. 4386]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 17, 2023/ASVINA 25, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर, 2023

का.आ. 4557(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 2787(अ), दिनांकित 29 अक्टूबर, 2014 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रमशः कॉलम सं. (1), (2) और (3) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रविष्टियां नामतः-

रारा-49 (नया रारा-87)	मदुरै – परमाकुडी – रामनाथपुरम खंड (तमिलनाडु राज्य में)	किमी 5.000 से किमी 118.795
--------------------------	---	----------------------------

क्रमशः कॉलम सं. (1), (2) और (3) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामतः-

रारा-49 (नया रारा-85 और 87)	मदुरै – परमाकुडी – रामनाथपुरम खंड (तमिलनाडु राज्य में)	किमी 5.000 से किमी 120.484
-----------------------------------	---	----------------------------

[फा. सं एनएच-14013/2/2023-पी एंड एम]

अभय जैन, उप सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना को का.आ.2787(अ), दिनांकित 29 अक्टूबर, 2014 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th October, 2023

S.O. 4557(E).— In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 2787(E), dated the 29th October, 2014, namely: -

In the Table to the said notification, for the following entries, under columns number (1), (2) and (3) respectively: -

NH-49 (New NH- 87)	Madurai- Paramakudi- Ramanathapuram section (In the state of Tamil Nadu)	Km 5.000 to km 118.795
-----------------------	---	------------------------

the following entries under columns number (1), (2) and (3) respectively, shall be substituted: -

NH-49 (New NH-85 and 87)	Madurai- Paramakudi- Ramanathapuram section (In the state of Tamil Nadu)	Km 5.000 to km 120.484
-----------------------------	---	------------------------

[F. No. NH-14013/2/2023-P&M]

ABHAY JAIN, Dy.Secy.

Note: - The principal notification was published vide number S.O. 2787(E), dated the 29th October, 2014.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर, 2023

का.आ. 4558(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 5 मई, 2017 में प्रकाशित भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 1423(अ), दिनांक 5 मई, 2017 को एतद्वारा निरस्त करती है।

[फा. सं. एनएच-14013/2/2023-पी एंड एम]

अभय जैन, उप सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th October, 2023

S.O. 4558(E).— In exercise of powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 1423(E), dated the 5th May, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 5th May, 2017, with immediate effect.

[F. No. NH-14013/2/2023-P&M]

ABHAY JAIN, Dy.Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर, 2023

का.आ. 4559(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 1505(अ), दिनांकित 14 मई, 2020 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रमशः कॉलम सं. (1), (2) और (3) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रविष्टियां नामतः-

83	कमालपुर के निकट रारा-7 (नया रारा-44) के मौजूदा चैनेज 390.400 – लक्कायनकोट्टी (ओडुनचतरम बाइपास) – वीरुपटची (ओडुनचतरम बाइपास) – वेदापट्टी - आचीपट्टी के निकट रारा-209 (नया रारा-83) के मौजूदा चैनेज 125.300 – अंजीनायर कोविल (तमिलनाडु राज्य में)	रारा-7 (नया रारा-44) के किमी 390.400 से रारा-209 (नया रारा-83) के किमी 125.300 तक	160.722
----	--	---	---------

क्रमशः कॉलम सं. (1), (2) और (3) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामतः-

209 (नया रारा-83)	डिंडीगुल – पोल्लाची – कोयंबटूर खंड (तमिलनाडु राज्य में)	किमी 0.000 से किमी 150.400
-------------------	--	----------------------------

[फा.सं. एनएच-14013/2/2023-पी एंड एम]

अभय जैन, उप सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना को का.आ.1505(अ), दिनांकित 14 मई, 2020 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th October, 2023

S.O. 4559(E).— In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O 1505 (E), dated the 14th May, 2020, namely: -

In the Table to the said notification, for the following entries, under columns number (1), (2), (3) and (4) respectively: -

83	From existing chainage 390.400 of NH-7 (New NH-44) near Kamalpuram- Lakkayankotti (Oddanchatram bypass) - Virupatchi (Oddanchatram bypass) - Vedappatti- existing chainage 125.300 of NH-209 (New NH-83) near Achipatti- Anjinayar Kovil. (In the state of Tamil Nadu)	Km 390.400 of NH-7 (New NH-44) to Km 125.300 of NH-209 (New NH-83)	160.722
----	---	---	---------

the following entries under columns number (1), (2), (3) and (4) respectively, shall be substituted: -

209 (New NH-83)	Dindigul- Pollachi- Coimbatore Section. (In the state of Tamil Nadu)	Km 0.000 to Km 150.400	--
-----------------------	---	---------------------------	----

[F. No. NH-14013/2/2023-P&M]

ABHAY JAIN, Dy.Secy.

Note: - The principal notification was published vide number S.O 1505 (E), dated the 14th May, 2020.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर, 2023

का.आ. 4560(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में कार्य प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), दिनांकित 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 22 के लिए तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

तालिका

(1)	(2)	(3)
“22.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 47 (नई रारा सं. 544) (कोयंबटूर बाइपास किमी 142.880 से किमी 170.880), सं. 49 (नई रारा सं. 87 और 85), [नई रारा-87 के किमी 5.000 से 120.484 किमी तक (मदुरै – परमाकुडी – रामनाथपुरम खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 67 (नई रारा सं. 83, 81 और 181) [किमी 0.000 से किमी 218.200 (नागापटिनम – तंजावूर – त्रिची – करूर खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 207 (नई रारा सं. 648), सं. 208 (नई रारा सं. 744) [किमी 81.600 से किमी 231.600 (तिरुमंगलम – राजापलयम – केरल/तमिलनाडु सीमा खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 209 (नई रारा सं. 83 और 948) [किमी 0.000 से किमी 150.400 (डिंडीगुल - पोल्लाची – कोयंबटूर खंड) तक खंड को छोड़कर], नई रारा सं. 179ए, सं. 210 (नई रारा सं. 336 और 536) [किमी 10.000 से किमी 174.000 (त्रिची – करईकुडी – देवाकुट्टई - रास्ता – करईकुडी - रामनाथपुरम खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 219 (नई रारा सं. 42), नई रारा सं. 32 (तूतीकोरीन से कन्याकुमारी खंड), नई रारा सं. 136, (किमी 74.912 से किमी 78.250 तक रारा-45 (नया रारा-38) के साथ ओवरलैपिंग को छोड़कर), सं. 230 (नई रारा सं. 85), सं. 234 (नई रारा सं. 75 और 38), सं. 381, नई रारा सं. 381ए, नई रारा सं. 381बी, नई रारा सं. 383, नई रारा सं. 532 के उतने भाग जो तमिलनाडु राज्य में अवस्थित हैं।	तमिलनाडु राज्य सरकार

[फा.सं. एनएच-14013/2/2023-पी एंड एम]

अभय जैन, उप सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना को सं. का.आ. 1096 (अ), दिनांकित 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और पिछली बार संशोधन सं. का.आ. 3463(अ), दिनांकित 2 अगस्त, 2023 द्वारा किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th October, 2023

S.O. 4560(E).— In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for serial number 22 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

Table

(1)	(2)	(3)
“22	So much of National Highway No. 47 (new NH No. 544) (Coimbatore bypass from Km 142.880 to Km 170.880), No.49 (New NH No. 87 and 85) [excluding from Km. 5.000 to Km. 120.484 of New NH-87 (Madurai- Paramakudi- Ramanathapuram section), No. 67 (New NH No. 83, 81 and 181) [excluding from Km. 0.000 to K.m. 218.200] (Nagapatinam- Thanjavur-Trichy-Karur section) No. 207 (New NH No. 648), No. 208 (New NH No. 744) [excluding from Km 81.600 to K.m. 231.600 (Thirumangalam- Rajapalayam- Kerala/Tamil Nadu border Section)], No. 209 (New NH No. 83 and 948) [excluding from Km 0.000 to Km 150.400 (Dindigul- Pollachi- Coimbatore Section)] , New NH No. 179A, No. 210 (New NH No. 336 and 536) [excluding from k.m. 10.000 to km. 174.000 (Trichy- Karaikudi- Devakottai- Rastha- Karaikudi- Ramanathapuram section)], No. 219 (New NH No. 42), New NH No. 32 (Tuticorin to Kanyakumari section) , New NH No. 136 (excluding overlapping with NH-45 (new NH-38) from Km 74.912 to Km 78.250) , No. 230 (New NH No. 85), No. 234 (New NH No. 75 and 38), No. 381, new NH No. 381A, new NH No. 381B, New NH No. 383, new NH No. 532 new as are situated within the State of Tamil Nadu.	State Government of Tamil Nadu”

[F. No. NH-14013/2/2023-P&M]

ABHAY JAIN, Dy.Secy.

Note: - The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and was last amended vide number S.O. 3463 (E), dated the 2nd August, 2023.